



# संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय

## रायपुर-छत्तीसगढ़

दूरभाष : 0771-2537404, टेलीफँक्स 0771-2234731  
ई-मेल : deptt\_culture@yahoo.co.in वेब साइट : www.cgculture.in

क्रमांक 1059 / अनु. / स.पु. / 2023

रायपुर, दिनांक 28/09/2023

### निविदा की शर्तें मैनुअल पद्धति निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्य के लिये छ.ग. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र 'अ' पर मुहरबद निविदाये PWD SOR एक जनवरी 2015 की दरों पर प्रतिशत आधार पर छ.ग. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों से लिफाफा पद्धति के अनुरूप मुहरबद निविदाये पंजीकृत डाक (ए.डी.) तथा स्पीड पोस्ट सर्विस द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा आमत्रित की जाती है।

मुहरबद निविदाये समिति के सदस्य एवं उपस्थित निविदाकर्ताओं/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र के साथ ठेकेदारी पंजीयन, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड, वाणिज्यकर कार्यालय का पंजीयन एवं चुकता प्रमाण पत्र, बैंक साल्वेसी, इंजीनियर नियोजन पूर्व में किये गये कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां अनिवार्यतः प्रस्तुत करे एवं मूल प्रमाण पत्रों से मिलान करावें अन्यथा निविदा प्रपत्र जारी नहीं की जावेगी। निविदा प्रपत्र कार्यालय से कार्यालयीन समय में निर्धारित शुल्क जो वापस योग्य नहीं है, नगद भुगतान पर प्राप्त किए जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना कार्यालयीन समय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है। आवश्यकता होने पर कार्य तथा निविदा सूचना के संबंध में आकस्मिक संशोधन इस कार्यालय के सूचना पटल पर लगाई जावेगी। निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित होने पर आगामी कार्य दिवस में निविदा प्रस्तुत एवं खोली जावेगी।


01. निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि 21.09.2023 शाम 5:00 बजे तक।
02. मुहर बद निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 27.09.2023 शाम 5:00 बजे तक।
03. निविदा खोलने की तिथि एवं समय दिनांक 29.09.2023 दोपहर 12:00 बजे।

क्र.	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानिक राशि	बयाने की राशि	ठेकेदार की श्रेणी	कार्यावधि	निविदा प्रपत्र की राशि
1.	राज्य संरक्षित स्मारक आनंदप्रभ कुटी विहार सिरपुर जिला-महासमुद में पथरों से बाउण्डीवाल ग्रील निर्माण कार्य।	9,37,643/-	19,000/-	उपयुक्त श्रेणी	कार्यादेश से तीन माह	750.00

#### निविदा की शर्तें :-

4. अमानत राशि राशि एफ.डी.आर./बैंक ड्राफ़्ट जो कि संचालक, पुरातत्व अभिलेखागर एवं संग्रहालय, महांत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर सिविल लाईन रायपुर छ.ग. के नाम से देय हो तथा कम से कम एक वर्ष की अवधि का हो जिसे निविदा के साथ अलग लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। व्याने की राशि के अभाव में निविदा बिना खोले वापस कर दी जायेगी।
5. किसी भी निविदा को पूर्ण अथवा आशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं त्रुटियुक्त, ओहर रायटिंग, अपूर्ण हस्ताक्षरित तथा सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. मुहरबद निविदाओं के प्रत्येक लिफाफे पर कार्य का नाम अकित किया जाना आवश्यक है।
7. ऐसे ठेकेदार जो एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत उपयुक्त श्रेणी में लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत हैं।
8. निविदा दो अलग-अलग लिफाफे पद्धति में प्रस्तुत किया जावेगा। प्रथम लिफाफा में अमानत राशि के साथ सत्य सप्त पत्र तथा द्वितीय लिफाफा में वित्तीय प्रस्ताव। उक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में भरकर मुहरबद करके पंजीकृत डाक(ए.डी.) या स्पीड पोस्ट सर्विस के माध्यम से प्रेषित करना होगा। प्रथम लिफाफा में अमानत राशि प्राप्त नहीं होने की दशा में वित्तीय प्रस्ताव नहीं खोला जावेगा।
9. विस्तृत निविदा विवरण की विशेष शर्तें की कंडिका क्र.-8(1) के अनुसार प्रस्तुत निविदा असंतुलित होने पर निविदा राशि का पांच प्रतिशत अतिरिक्त अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में अनुबंध के पूर्व जमा करना होगा।
10. विशेष शर्त की कंडिका रु. 50.00 के गैर न्यायिक स्टाम्प हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी को वित्तीय प्रस्ताव खोलने हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व अमानत राशि के लिफाफे में रखकर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
11. ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों की उपरिधति पंजी संधारित की जावेगी तथा प्रत्येक नियोजित श्रमिक को उसके बैंक एकाउण्ट में सीधे मजदुरी भुगतान करना अनिवार्य है तथा देयक भुगतान के समय कोई लेवर भुगतान शेष नहीं है का प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. ठेकेदार को नियोजित श्रमिकों की उपरिधति पंजी/मस्टररोल, वेतन भुगतान पंजी, नियोजन पंजी का संधारण अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के साथ-साथ अन्य लाभ जैसे-ओहर टाइम भत्ता, बोनस, ग्रेचुटी, मातृत्व हितलाभ, अवकाश, ई.इस.आई. भविष्य निधि तथा रक्षणा संबंधी लाभ देना अनिवार्य हैं।

13. परिशिष्ट 2.10 के एनेक्सर जी (स्पेशल कंडीशन ऑफ एन.आई.टी.) की कंडिका 4 (1से 5) के अनुसार कार्य पूर्ण होने के पश्चात 3 वर्ष तक कार्य का संधारण ठेकेदार को करना होगा, जिसके लिए कोई राशि अलग से देय नहीं होगा।
- 13(A). कार्यादेश प्राप्त फर्म/ठेकेदार को देयक भुगतान के समय देयक की राशि का 5% सुरक्षा राशि एफ.डी.आर.के रूप में जो कि संचालक पुरातत्व अभिलेखगार एवं संग्रहालय रायपुर के नाम से जो तीन वर्ष की अवधि का हो जमा करना होगा। कार्य के उपरांत ठेकेदार को तीन वर्ष तक स्वयं के व्यय से त्रुटि सुधार/रखरखाव करना होगा एवं तीन वर्ष पूर्ण होने के उपरांत संबंधित अधिकारी/अभियंता के द्वारा कार्य सत्यापन उपरांत एफ.डी.आर.विमुक्त की जावेगी।
14. विशेष शर्त की कंडिका 4 के अनुसार परफार्मेंस गारंटी के रूप में प्रत्येक देयक से 5% प्रतिशत अतिरिक्त सुरक्षा निधि काटी जाएगी जिसे कार्य पूर्ण होने पर 36 माह की बैंक गारंटी में बदला जा सकता है। ठेकेदार चाहे तो अनुबंध के पूर्व अनुबंध राशि की 5 प्रतिशत अतिरिक्त बैंक गारंटी जमा कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देयक से अतिरिक्त 5 प्रतिशत की राशि की कटौती नहीं की जावेगी। अमानत राशि कार्य पूर्ण होने के उपरांत तीन वर्ष के पश्चात ही वापस की जावेगी। निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर कार्यालय में जमा अमानत राशि राजसात की कार्यवाही की जा सकेगी।
15. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को वित्तीय क्षमता प्रमाण पत्र या इसकी सत्यापित प्रतिलिपि जो कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रमाणित हो, जिसका मुख्य निविदा राशि का 15 प्रतिशत होना चाहिए जो आवेदन के दिनांक से 12 माह से अधिक समायावधि का ना हो प्रस्तुत कराना अनिवार्य है।
16. अमानत राशि के साथ सत्यनिष्ठा शपथ पत्र प्राप्त नहीं होने पर ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत लिफाफा निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा।
17. किसी प्रकार का वाद-विवाद उत्पन्न होने पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा तथा विवाद की स्थिति में संचालक पुरातत्व अभिलेखगार एवं संग्रहालय रायपुर का निर्णय दोनों पक्षों को अनिवार्य रूप से मान्य होगा।
18. उपरोक्त सामान्य शर्त निविदा अनुबंध का भाग है।  
(केश शाखा द्वारा निर्धारित दिनांक तक प्रपत्र अर्हता प्राप्त फर्म को मार्गे जाने पर जारी करने हेतु)



संचालक  
पुरातत्व अभियान संग्रहालय

सांस्कृतिक विरासत एवं प्राचीन अवशेष राष्ट्र का गोरव है, जिसकी सुरक्षा करना हम सब का नैतिक दायर्त्त है।